न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 38/2015

सहूरी पुत्री चाहत पत्नी फजरू जाति फकीर निवासी माधोपुर तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम रीगड तहसील फिरोजपुर जिला नूँह (मेवात) हरियाणा

वादनी

बनाम

1. हारून
2. साहून
3. आमीन
4. समीन पिसरान शरीफ मौहम्मद
5. आसमौहम्मद पुत्र पल्टू
6. कासम
7. रत्ती
8. हस्सन पिसरान हटीला
9. खुर्शीद
10. ज़ुबेर
11. तैयव
12. अख्तर
13. रसीद पिसरान कल्लू
14. फरीद पुत्र कल्लू (मृत्तक)
15. फकरूद्दीन
16. स्हरूद्दीन पिसरान सहाबुद्दीन
17. इस्लामी पत्नी रसीद
18. मम्मनदीन पुत्र मामू
19. रतीमौहम्मद पुत्र हरीसिंह
20. रूस्तम पुत्र उमर खा
21.
22. साहबबुद्दीन पुत्र कल्लू (मृत्तक)
    - 22/1 सुगरा पत्नी साहबबुद्दीन
    - 22/2 फकरू
    - 22/3 सकरू पिसरान साहबबुद्दीन
    - 22/4 साहिना
    - 22/5 सबनम पुत्रीयान साहबबुद्दीन

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

23.कन्नू पुत्र कल्लू जातियान मेवान निवासीयान गांधानेर तहसील पहाडी
24.उसमान पुत्र सांवला जाति फकीर निवासी गांधानेर तहसील पहाडी
प्रतिवादीगण

25.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
26. प्रबन्धक महोदय, पी0एन0बी0 शाखा कठौल तहसील पहाडी
फौरमल पक्षकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादनी
श्री सतीश बुन्देला वकील प्रतिवादी संख्या 24

दिनांक :– 28/11/2023

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1448/0.24, 1454/0.44, 1132/0.22, 1151/0.22, 1161/0.15, 1283/0.13, 1319/0.47, 1446/0.25, 1146/0.60, 1165/0.21, 1282/0.17, 1312/0.49, 1133/0.23, 1148/0.18, 1447/0.19, 1367/0.30, 1445/0.25 हैक्टर बांके ग्राम गांधानेर तहसील पहाडी में स्थित है। वादनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4 एक ही परिवार के सदस्य है। मद संख्या 2 वाद पत्र में वर्णित आराजी पूर्व में वादनी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4 के पिता/दादा चाहत की कब्जे काश्त की आराजी थी जिसे वादनी को पिता चाहत अपने जीवन काल तक काश्त करता रहा चाहत के स्वर्गवास हो जाने पश्चात आराजी मुतदाविया को चाहत के वारिसान वादनी स्वयं पिता प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4 शरी मौहम्मद वाहैसियत वारिसान वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते रहे किन्तु वादनी के भाई शरी मौहम्मद ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सामिल आराजी मुत0 इन्तकाल नं0 133 से विरासतन का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करा लिया जो कतई गलत व कानून के प्रावधानों के विपरीत है। विरासत नामान्तकरण वादनी एवं वादनी के भाई के नाम निस्फ–निस्फ होना चाहिए था विरासतन नामान्तकरण इन्तकाल नम्बर 133 से प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज किया व कतई गलत दर्ज किया है वादनी उक्त नामान्तकरण की नल एण्ड वोइड घोषित करा पाने की अधिकारिणी है और आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्से को वादनी अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4 के पिता शरी मौहम्मद ने गलत नामान्तकरण दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

कराने के आधार पर शरी मौहम्मद ने खसरा नम्बर 1282 का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8 को कर दिया एवं खसरा नम्बर 1133/0.23 को शरी मौहम्मद ने प्रतिवादीगण संख्या 18 को बेचान कर दिया । खसरा नम्बर 1367 का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 5,20 को कर दिया एवं खसरा नम्बर 1445 का बेचान प्रतिवादी संख्या 10,11,22,23 को कर दिया प्रतिवादी संख्या 24 ने डिक्री द्वारा इन्तकाल नम्बर 720 दिनांक 17/10/94 को राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर आराजी मुतदाविया का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 को व प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 17 को बेचान कर दिया बेचान के आधार पर दर्ज किये गये इन्तकाल नम्बरों की नकल संलग्न है जबकि प्रतिवादीगण के पिता को सालिम नम्बरों को न तो बेचने का अधिकार था और ही डिक्री द्वारा प्रतिवादी संख्या 24 के नाम कराने का अधिकारी था । क्यों कि वादनी का निस्फ हिस्से उक्त नम्बरान में भी था इस प्रकार की गई डिक्री एवं किये गये बयनामा वमुकाबले वादनी शून्य एवं बेअसर है वादनी द्वारा उक्त नम्बरान की डिक्री एवं बयनामओं नल एण्ड वोइड करा पाने के अधिकारिणी है एवं वादनी उक्त नम्बरान में अपने निस्फ हिस्से को वाहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारिणी है। विवादित आराजी के निस्फ हिस्से पर वादनी का कब्जा काश्त शान्ति पूर्ण तरीके से चलता हुआ आ रहा है और आज भी मौके पर वादनी की कब्जे काश्त है लेकिन आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम गलत तरीके से दर्ज होता हुआ चला आ रहा है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया को दीगर व्यक्तियो को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है एवं वादनी के कब्जे काश्त में दखल करना चाहते है जिसकी धमकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 30/04/2015 बांके ग्राम गांधानेर में स्पष्ट शब्दों में दी है। प्रतिवादीगण अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादनी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव ना हो सकेगी। विनाय मुखास्मत नकल जमाबन्दी लेने दिनांक 01/05/2015 एवं दोयम दिनांक 30/04/2015 को धमकी देने पर बांके ग्राम गांधानेर तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार साहब पहाडी है राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है इसलिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई है। अराजी मुतदाविया पी0एन0बी0 शाखा कठौल में रहन रखी हुई है इसलिए शाखा प्रबन्धक पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आराजी वर्णित मद नं0 2 वादनी के पिता की आराजी है जिस पर वादनी निस्फ हिस्से पर वाहैसियत वारिसान बतौर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। इन्तकाल नम्बर 133 के आधार पर दर्ज किया गया इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून है एवं

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के पिता को कानूनन सालिम खसरा नम्बर का रहन वय अन्य तरीको से दीगर व्यक्तियों के नाम कराने का कानूनन अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल ना करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

दावा वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 24 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 24 ने जबाब इस आशय का पेश किया की वादनी ने उक्त वाद पत्र महज प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है इसलिए दावा वादनी काबिले खारिजी है। आराजी मुतदाविया से खसरा नम्बर 1165/0.21 , 1367/0.30 बांके ग्राम गांधानेर का निस्फ हिस्सा हमेशा–हमेशा से प्रतिवादीगण संख्या 24 उस्मान के पिता सांवला पुत्र कुलसी के कब्जे काश्त व खातेदारी का रकबा था जिसे प्रतिवादी संख्या 24 के पिता अपने जीवन काल में काबिज होकर शान्ती पूर्वक काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 24 उसमान काबिज होकर काश्त कर रहे है वादनी के पिता चाहत चालाक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होने सालिम आराजी को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम करा लिया जबकि मृत्तक चाहत आराजी मुतदाविया में से 1/2 हिस्से के हिस्सेदार थे और 1/2 हिस्से के हिस्सेदार प्रतिवादी संख्या 24 के पिता सांवला थे मृत्तक चाहत की मृत्यु के पश्चात आराजी मुतदाविया पर उनके पुत्र मृत्तक शरी मौहम्मद का नाम दर्ज हो गया जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी संख्या 24 ने न्यायालय सहायक कलैक्टर कामां में वाद दायर किया और प्रतिवादी संख्या 24 द्वारा पेश किया गया दावा डिक्री किया गया न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 24 को खसरा नम्बर 1165/0.21, 1367/0.30 व डिक्री में वर्णित अन्य आराजी का जरिये इंतकाल नम्बर 720 दिनांक 17/10/1994 को निस्फ हिस्से पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज किया गया जिसकी जानकारी वादनी को पूर्व में भली भांति थी जिसकी अपील वादनी द्वारा सक्षम न्यायालय में की गई। न्यायालय श्रीमान जी को पूर्व में आराजी मुतदाविया के संबन्ध में पारित डिक्री एवं निर्णय को नल एण्ड वॉइड घोषित कराने का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 24 आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्से को शान्ति पूर्ण काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु अपनी घरेलु आवश्यकताओं की वजह से प्रतिवादी संख्या 24 ने खसरा नम्बर 1165/0.21, 1367/0.30 के निस्फ हिस्से को आसमौहम्मद

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र पलटू जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान कर दिया तथा कब्जा मौके पर खरीददार को दे दिया गया। तभी से प्रतिवादी संख्या 5 उक्त आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 24 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 9 लगायत 17 को भी आराजी मुतदाविया में से अपने हिस्से का पंजीकृत बयनामा करा दिया तथा मुताबिक बयनामा कब्जा संभाल दिया जो मुताबिक बयनामा अपने–अपने जमीन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी संख्या 5 ने आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1367/0.30 बांके ग्राम गांधानेर के निस्फ हिस्से को दिनांक 02/05/91 को एवं खसरा नम्बर 1165/0.21 हैक्टर के निस्फ हिस्से को दिनांक 27/10/99 को जिनके हाल खसरा नम्बर 1572 व 1318 है। को प्रतिवादी संख्या 24 से जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद किया है और मुताबिक बयनामा आराजी मुतदाविया पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 5 का नाम अंकन हो गया है उक्त खसरा नम्बरान के निस्फ हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 5 तभी से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। मृत्तक चाहत की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल मुताबिक कानून उसके पुत्र शरी मौहम्मद के हक में इन्तकाल नम्बर 133 स्वीकृत हुआ इसकी अपील भी मुताबिक कानून सक्षम न्यायालय में नहीं की गई ।इसलिए दावा वादनी काबिले खारिजी है। वादनी का आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध किसी प्रकार का नहीं है। उसने दावा में सभी तथ्य गलत अंकित किये है दावा महज प्रतिवादी संख्या 5 की आराजी को हडपने की गरज से पेश किया है उसका आराजी मुतदाविया पर कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा में पत्रावली साक्ष्य वादनी में नियत की गई। साक्ष्य वादनी में पी0डब्लू0 1 सहूरी, पी0डब्लू0 2 उस्मान, के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादनी बन्द किये गये।

बहस वकील वादनी बहस सुनी । वकील वादनी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया है ।

हमने बहस वकील वादनी पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादनी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1165/0.21, 1367/0.30 बांके ग्राम गांधानेर एवं प्रतिवादी संख्या 5 आसमौहम्मद एवं प्रतिवादी संख्या 24 उस्मान को दावे से तर्क करा लिया । विवादित आराजी वादनी के पिता चाहत के कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
पलाड़ी (डीग)

खातेदारी की आराजी थी चाहत के मरने के बाद आराजी भाई शरी मौहम्मद ने समस्त आराजी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा ली जबकि वादनी सहूरी भी मृत्तक चाहत की वारिसान है और उक्त आराजी में सहूरी का निस्फ हिस्सा बनता है ऐसी स्थिति दावा वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नम्बर 1448/0.24, 1454/0.44, 1132/0.22, 1151/0.22, 1161/0.15, 1283/0.13, 1319/0.47, 1446/0.25, 1146/0.60, 1282/0.17, 1312/0.49, 1133/0.23, 1148/0.18, 1447/0.19, 1445/0.25 हैक्टर बांके ग्राम गांधानेर तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे इन्द्राज 1/2 को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 38/2015

सहूरी पुत्री चाहत पत्नी फजरू जाति फकीर निवासी माधोपुर तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम रीगड तहसील फिरोजपुर जिला नूँह (मेवात) हरियाणा

वादनी

बनाम

1. हारून
2. साहून
3. आमीन
4. समीन पिसरान शरीफ मौहम्मद
5. आसमौहम्मद पुत्र पल्टू
6. कासम
7. रत्ती
8. हस्सन पिसरान हटीला
9. खुर्शीद
10. जुबेर
11. तैयव
12. अख्तर
13. रसीद पिसरान कल्लू
14. फरीद पुत्र कल्लू (मृत्तक)
15. फकरूद्दीन
16. स्हरूद्दीन पिसरान सहाबुद्दीन
17. इस्लामी पत्नी रसीद
18. मम्मनदीन पुत्र मामू
19. रतीमौहम्मद पुत्र हरीसिंह
20. रूस्तम पुत्र उमर खा

22. साहबबुद्दीन पुत्र कल्लू (मृत्तक)
    - 22/1 सुगरा पत्नी साहबबुद्दीन
    - 22/2 फकरू
    - 22/3 सकरू पिसरान साहबबुद्दीन
    - 22/4 साहिना
    - 22/5 सबनम पुत्रीयान साहबबुद्दीन
23. कन्नू पुत्र कल्लू जातियान मेवान निवासीयान गांधानेर तहसील पहाडी
24. उसमान पुत्र सांवला जाति फकीर निवासी गांधानेर तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी
26. प्रबन्धक महोदय, पी0एन0बी0 शाखा कठौल तहसील पहाडी

फौरमल पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादनी डिक्री किया जाकर वादनी को आराजी खसरा नम्बर 1448/0.24, 1454/0.44, 1132/0.22, 1151/0.22, 1161/0.15, 1283/0.13, 1319/0.47, 1446/0.25, 1146/0.60, 1282/0.17, 1312/0.49, 1133/0.23, 1148/0.18, 1447/0.19, 1445/0.25 हैक्टर बांके ग्राम गांधानेर तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे इन्द्राज 1/2 को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।**

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.11 सन् 2023 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

दस्तखत .....

ओहदा .....

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner